

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

दिनांक: 13.04.2017

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/120
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00114
CICOM/R/2017/00077

अपीलकर्ता : श्री पुरुषोत्तम यादव,
पुत्र - श्री रामनरेश यादव,
ग्राम - सिकटौर (ऑंकार नगर),
पो0 - मानीराम, जिला - गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश - 273007.

निर्णय की तारीख: 12.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.01.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.01.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा,
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.03.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	123402/08.04.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	140/10.04.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अल्ताफ इंटरप्राइजेज नामक एजेंसी से संबंधित ग्यारह बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए.के.शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अल्ताफ इंटरप्राइजेज नामक एजेंसी से संबंधित सूचनाएं मांगी हैं एवं उक्त एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने एवं नुकसान की भरपाई का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में श्री ए.के.शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यानुसृत है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

o/c

13/04/17

C.I.C. / के. सू. आ.
RECEIVED

13 APR 2017

Initials: 